# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः डी0एस0डब्ल्यू/510/2022–23 | अतिआवश्यक/समयबद्ध | दिनांक : 02.08.2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः– यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/शीर्षप्राथमिकता संख्याः–2065/सत्तर–3–2022 लखनऊ दिनांक 01 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा लाभान्वित होने वाली छात्राओं की संख्या कितनी है, की सूचना दिनांक 05.08.2022 तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अनिवार्य रूप से अवगत करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

02/08/22

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः–

1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2–वरि0 आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपरोक्त सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/शीर्षप्राथमिकता
संख्या– 2065/सत्तर–3–2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2022

विषयः–यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाये या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र सं0–536(1)/अड़सठ–3–2022, दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को घोषणा की गई है कि " यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही है, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्सहित करते हुए माफ करायी जाय या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"। इस सम्बन्ध में किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पडेगा तथा उक्त छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, की सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी उच्च शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रही है तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा लाभान्वित होने वाले छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, की सूचना से दिनांक 05.08.2022 तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

( मनोज कुमार )

अपर मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 26/07/22

महत्वपूर्ण

वि.स.(M.K.)/HE-3

26/07/22

संख्या 745/MPPSHED/2022

संख्या-2065/सत्तर-3-2022

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा/प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग-3
संख्या :5364/अड़सठ--3--2022
लखनऊ : दिनांक : 25 जुलाई, 2022

(1) अपर मुख्य सचिव,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(मोनिका एस० गर्ग) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 02.10.2021 को घोषणा की गई है कि "यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियॉं किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी"।

2-- इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। अतः मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराने का कष्ट करें कि यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने पर आपके विभाग को कितना वित्तीय व्ययभार वहन करना पड़ेगा तथा उक्त छात्राओं की कुल संख्या कितनी होगी। कृपया इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वे कराकर उक्त बिन्दुओं पर अपने विभाग का अभिमत/सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1661/USHE(M)/22

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

DS/S-3

उ0 तत्काल सूचना प्राप्त कर बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी जाये।
27-7-22

27-07-22
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन

श्री अर्जुन
27/7/2022